


नम्बर 150 रकबा 0.26 है., खसरा नम्बर 151 रकबा 0.08 है., खसरा नम्बर 199 रकबा 0.04 है., खसरा नम्बर 402 रकबा 0.24 है., खसरा नम्बर 403 रकबा 0.29 है., खसरा नम्बर 404 रकबा 0.48 है., खसरा नम्बर 405 रकबा 0.38 है., खसरा नम्बर 406 रकबा 0.42 है., कुल किता 14 कुल रकबा 6.02 है. के खातेदार वादी (वादी का 1/8 हिस्सा अर्थात् 0.75 है.) व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 12 दर्ज रिकॉर्ड है। खाता विभाजन नहीं होने से कृषि सुधार ऋण लेने, संपरिवर्तन कराने में परेशानी होती है। उपरोक्त विवादित भूमि का अपने-अपने हिस्से के अनुसार बाहमी बंटवारा कर रखा है। तथा उसी अनुसार अपने-अपने हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम में वाद विभाजन के लिए कोई मियाद निर्धारित नहीं है मगर फिर भी यह दावा अन्दर मियाद है। वादीगण के हिस्से की भूमि का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। अयाचित अनुतोष दिलाया जावे।

- (2) दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
- (3) वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमाबंदी सम्वत् 2070-73, नकल जमाबंदी सम्वत् 2070-73 पेश किए गए।
- (4) दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 28.03.2016 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रजात रिपोर्ट दिनांक 05.11.2019 को प्राप्त हुई।
- (5) बहस सुनी गई।
- (6) पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। कुर्रजात रिपोर्ट निर्देशानुसार प्राप्त हुई है। अतः न्यायालय मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

—:: आदेश ::—

न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन को डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम भालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज. स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 304 रकबा 0.54 है., खसरा नम्बर 307 रकबा 0.63 है., खसरा नम्बर 417 रकबा 0.22 है., खसरा नम्बर 418 रकबा 0.26 है., खसरा नम्बर 520 रकबा 0.12 है., खसरा नम्बर 535 रकबा 1.41 है., खसरा नम्बर 538 रकबा 1.75 है., खसरा नम्बर 663 रकबा 0.71 है., खसरा नम्बर 538 रकबा 1.75 है., खसरा नम्बर 663 रकबा 0.71 है., खसरा नम्बर 664 रकबा 0.50 है., खसरा नम्बर 666 रकबा 0.26 है., खसरा नम्बर 667 रकबा 0.34 है., खसरा नम्बर 1106/476 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 1112/397 रकबा 0.10 है., कुल किता 13 कुल रकबा 6.89 है., भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 9 से 11 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है एवं ग्राम भालोठ के खाता संख्या 228 के खसरा नम्बर 23 रकबा 0.74 है., खसरा नम्बर 25 रकबा 0.79 है., खसरा नम्बर 26 रकबा 0.73 है., खसरा नम्बर 27 रकबा 0.95 है., खसरा नम्बर 148 रकबा 0.36 है., खसरा नम्बर 149 रकबा 0.26 है., खसरा


उपस्थित अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुन्झुनूं (राज.)

नम्बर 150 रकबा 0.26 है., खसरा नम्बर 151 रकबा 0.08 है., खसरा नम्बर 199 रकबा 0.04 है., खसरा नम्बर 402 रकबा 0.24 है., खसरा नम्बर 403 रकबा 0.29 है., खसरा नम्बर 404 रकबा 0.48 है., खसरा नम्बर 405 रकबा 0.38 है., खसरा नम्बर 406 रकबा 0.42 है., कुल किता 14 कुल रकबा 6.02 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ-1 लगायत अ-2" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
बुहाना जिला-झुंझुनू (राज.)

निर्णय आज दिनांक 20-12-2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनू (राज.)

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारी:-

सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं:- 09/2016
निर्णय दिनांक:- 20.12.2021

नोरंग बनाम शेरसिंह आदि
दावा बाबत- खाता विभाजन

वादी की ओर से श्री नरेश भारद्वाज एडवोकेट की उपस्थिति में व प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 20.12.2021 को श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और प्राथमिक डिक्री दी जाती है कि-

"न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन को डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम भालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज. स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 304 रकबा 0.54 है., खसरा नम्बर 307 रकबा 0.63 है., खसरा नम्बर 417 रकबा 0.22 है., खसरा नम्बर 418 रकबा 0.26 है., खसरा नम्बर 520 रकबा 0.12 है., खसरा नम्बर 535 रकबा 1.41 है., खसरा नम्बर 538 रकबा 1.75 है., खसरा नम्बर 663 रकबा 0.71 है., खसरा नम्बर 538 रकबा 1.75 है., खसरा नम्बर 663 रकबा 0.71 है., खसरा नम्बर 664 रकबा 0.50 है., खसरा नम्बर 666 रकबा 0.26 है., खसरा नम्बर 667 रकबा 0.34 है., खसरा नम्बर 1106/476 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 1112/397 रकबा 0.10 है., कुल किता 13 कुल रकबा 6.89 है., भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 9 से 11 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है एवं ग्राम भालोठ के खाता संख्या 228 के खसरा नम्बर 23 रकबा 0.74 है., खसरा नम्बर 25 रकबा 0.79 है., खसरा नम्बर 26 रकबा 0.73 है., खसरा नम्बर 27 रकबा 0.95 है., खसरा नम्बर 148 रकबा 0.36 है., खसरा नम्बर 149 रकबा 0.26 है., खसरा नम्बर 150 रकबा 0.26 है., खसरा नम्बर 151 रकबा 0.08 है., खसरा नम्बर 199 रकबा 0.04 है., खसरा नम्बर 402 रकबा 0.24 है., खसरा नम्बर 403 रकबा 0.29 है., खसरा नम्बर 404 रकबा 0.48 है., खसरा नम्बर 405 रकबा 0.38 है., खसरा नम्बर 406 रकबा 0.42 है., कुल किता 14 कुल रकबा 6.02 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ-1 लगायत अ-2" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 20.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुन्झुनू (राज.)